न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 53/2023

1 मुरलीधर पुत्र रामनाथ ग्राम काछवा तहसील नेछवा जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गोरधन पुत्र रूघाराम।
2 मोतीलाल पुत्र गोरधन।
3 सुनील पुत्र गोरधन।
4 नानगराम पुत्र रूघाराम।
5 मेघराज पुत्र नन्दलाल निवासीगण काछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 राजस्थान पटवारी पटवार हल्का काछवा तहसील नेछवा जिला सीकर।
7 तहसीलदार तहसील नेछवा जिला सीकर।
8 उप पंजियक नेछवा जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 03.08.2023 पारित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा जिला सीकर उनवानी मुरलीधर बनाम गोरधन आदि प्रार्थना पत्र संख्या 43/2023

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 22.3.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा द्वारा मुकदमा नम्बर 43/2023 में पारित निर्णय दिनांक 03.08.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत कर ग्राम काछवा तहसील नेछवा की भूमि खसरा नम्बर 711, 712, 899/708, 898/708, 897/708, 709 में प्रार्थी के हक व हिस्से की सींव–नींव तय होने तक प्रार्थी के हक व हिस्से पर कब्जाकाश्त में दखलदांजी करने, अतिक्रमण कर निर्माण आदि करने से व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन जारी करने का निवेदन जारी किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 04.07.2023 को एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की विचारण न्यायालय में दिनांक 08.07.2023 को अप्रार्थी संख्या 2 ने आवेदन प्रस्तुत कर आवासीय मकान बनाने की अनुमति चाही विचारण न्यायालय ने आवेदन पर दिनांक 03.08.2023 को उभयपक्ष को सुनकर आवेदन स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 2 को पूर्व में जारी निर्माण कार्य को पूरा करने की अनुमति देते हुए दिनांक 04.07.2023 के स्थगन को इस हद तक अपास्त किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 711 रकबा 0.05 हैक्टेयर में पुख्ता मकान बनाकर आवास निवास कर रहा है तथा खसरा नम्बर 712 रकबा 2.04 हैक्टेयर कब्जा काश्त की कृषि भूमि रही है। जिसके दक्षिण में अवस्थित खसरा नम्बर 899/708 की खातेदारी रेस्पोडेंट संख्या 1 की है इसी प्रकार खसरा नम्बर 898/708 की खातेदारी रेस्पोडेंट संख्या 5 व उनके वारिसान के नाम खसरा नम्बर 897/708 व 709

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की खातेदारी रेस्पोडेंट संख्या 5 के नाम दर्ज है। उक्त आराजीयात में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 व 5 की पूर्व में संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि रही है। विचारण न्यायालय की पालना रिकार्ड में हो चुकी है किन्तु मौके पर पालना नही हुई है। विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया था। विचारण न्यायालय ने दिनांक 03.08.2023 से रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्थगन में आवासीय मकान बनाने की अनुमति का आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व है। विचारण न्यायालय के इस निर्णय से मौके की सूरत बदल जायेगी एवं पक्षकारों में वाद बाहुल्यता होगी। अत अपील अपीलांट स्वीकार कर सम्पूर्ण भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश प्रदान किये जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट के पिता के नाम से पैतृक खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 899/708 रकबा 0.66 हैक्टेयर तन ग्राम काछवा में अवस्थित है। विचारण न्यायालय ने स्थगन आदेश दिनांक 07.04.2023 को एकपक्षीय अन्तरिम स्थगन आदेश पारित कर दिया। उक्त खातेदारी की भूमि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। अपीलांट का कोई हक हिस्सा नही है। उक्त भूमि में रेस्पोडेंट मकानों का निर्माण चालु कर रखा था। सींव नींव का कोई विवाद नही है। अधुरे निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने की अनुमति देकर विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत कर ग्राम काछवा तहसील नेछवा की भूमि खसरा नम्बर 711, 712, 899/708, 898/708, 897/708, 709 में प्रार्थी के हक व हिस्से की सींव–नींव तय होने तक प्रार्थी के हक व हिस्से पर कब्जाकाश्त में दखलदांजी करने, अतिक्रमण कर निर्माण आदि करने से व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्थगन जारी करने का निवेदन जारी किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 04.07.2023 को एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की विचारण न्यायालय में दिनांक 08.07.2023 को अप्रार्थी संख्या 2 ने आवेदन प्रस्तुत कर आवासीय मकान बनाने की अनुमति चाही विचारण न्यायालय ने आवेदन पर दिनांक 03.08.2023 को उभयपक्ष को सुनकर आवेदन स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 2 को पूर्व में जारी निर्माण कार्य को पूरा करने की अनुमति देते हुए दिनांक 04.07.2023 के स्थगन को इस हद तक अपास्त किया है। विचारण न्यायालय ने नये सिरे से मकान निर्माण की अनुमति नहीं दी है। केवल मात्र पूर्व में जारी मकान के निर्माण कार्य को पूरा करने की छुट प्रदान की है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.3.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवा राम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर